कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना पुसौर
जिला–रायगढ़ (छत्तीसगढ़)
–:: प्रेस विज्ञप्ति ::–

आँगनबाड़ी केन्द्र अमलीभौना में आँगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित

एकीकृत बाल विकास परियोजना पुसौर, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) के अंतर्गत आँगनबाड़ी केन्द्र आँगनबाड़ी केन्द्र अमलीभौना, ग्राम पंचायत छोटेभण्डार में आँ.बा.सहायिका का पद रिक्त हो होने के फलस्वरूप। कार्यालयीन विज्ञापन पत्र क्रमांक 1307 दिनाँक 17.11.2026 द्वारा दिनाँक 17.11.2026 से दिनाँक 01.12.2026 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। इस संबंध में आवेदन महिला एवं बाल विकास विभाग के ऑन लॉईन पोर्टल पर **www.cbharti.in** के माध्यम से ऑनलाईन किया जा सकेगा। आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति से संबंधित विस्तृत निर्देश व नियम शर्तों का परियोजना कार्यालय के सूचना पटल पर भी अवलोकन किया जा सकता है।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना पुसौर
जिला–रायगढ़ (छ0ग0)

पृ. क्रमांक /1309 / स्था / एबाविपरि / 2026–27 पुसौर, दिनाँक 17.11.2026

प्रतिलिपि–सहायक संचालक, जन सम्पर्क कार्यालय रायगढ़ की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार सूचना पत्र का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करेंगे।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना पुसौर
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

जिला जनसम्पर्क कार्यालय 17/11/26 रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय परियोजना अधिकारी,एकीकृत बाल विकास परियोजना पुसौर
जिला–रायगढ़(छत्तीसगढ़)
आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पद पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना

कमांक / 1307 / स्था / बा.वि.परि. / 2026–27 पुसौर,दिनांक 17/11/2026

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नानुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों में नाम के सम्मुख संख्या में रिक्त आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों में नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित हैं । नियुक्ति हेतु इच्छुक आवेदिकाओं के द्वारा आवेदन पत्र दिनांक **17.11.2026 से 01.12.2026** तक महिला एवं बाल विकास विभाग के ऑन लॉईन पोर्टल पर **aww.ebharti.in** के माध्यम से ऑनलाईन किया जा सकेगा। रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है–

क.	केन्द्र का नाम	वार्ड तथा नगरीय निकाय का नाम / ग्राम का नाम	पद का नाम	रिक्त पद की संख्या
1	अमलीभौना	छोटेभण्डार	आं.बा. सहायिका	1

आवेदन किये जाने हेतु निम्नानुसार अर्हताऍं हैः–

1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद केवल महिलाओं के लिए ही होंगे ।
2. आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता / सहायिका / सह सहायिका / संगठिका को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जावेगी) आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की सूचना जारी होने की तिथि से की जावेगी । आयु के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र एवं मान्यता प्राप्त संस्थान / बोर्ड की अंकसूची ही मान्य की जावेगी ।
3. जिस ग्राम / वार्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है आवेदिका उसी ग्राम की एवं नगरीय क्षेत्र के लिए उसी वार्ड का स्थानीय निवासी होनी चाहिए । आवेदन पत्र के साथ निवास के संबंध में निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज संलग्न किया जावेगा :–
   (क) उस ग्राम / नगरीय क्षेत्र की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावे ।

   अथवा

   (ख) संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में की जाने वाली नियुक्ति में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत् रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो ।
   टीपः– यदि किसी आवेदक के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस आवेदक के निवास के सत्यापन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास संबंधी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
4. अनुसूचित जाति / जनजाति के आवेदिकाओं द्वारा आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया वैध जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने पर पृथक से अंक की पात्रता होगी ।
5. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका / मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर चयन में विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओ को मूल्यांकन में अतिरिक्त अंक का प्रावधान है । इस हेतु परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर संबंधित आवेदिका को आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा ।
   स्पष्टीकरणः– (क) परित्यक्ता के संबंध में निम्न में से कोई एक प्रमाण पत्र मान्य होगा–
   1. संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र / नगर पंचायत के अध्यक्ष तथा नगर निगम / नगर पालिका क्षेत्र मे वार्ड के पार्षद द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया हो तो उसे प्रस्तुत किया जावें ।

   अथवा

   2. न्यायालय द्वारा जारी तत्संबंधी आदेश ।
   (ख) तलाकशुदा महिला होने के संबंध में न्यायालयीन आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।
   (ग) यदि शासन से किसी प्रकार के आर्थिक सहायता / पेंशन प्राप्त की जा रही है तो उसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है ।
   (घ) परित्यक्ता महिला के संबंध में 02 वर्ष से अधिक की अवधि को ही मान्य किया जावेगा ।
6. पूर्व से अनुभवी कार्यकर्ता,सहायिका से आशय राज्य शासन की किसी योजना परियोजना अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र / बालबाड़ी / झूलाघर / अतिरिक्त पूरक पोषण आहार वितरण केन्द्र / शहरी विशेष पोषण आहार वितरण केन्द्र / शिशु शिक्षा केन्द्र में कार्य करने के अनुभवी कार्यकर्ता / सहायिका से है । इनके कार्य के अनुभव हेतु उनके नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा । अनुभव के अंक 01 वर्ष या उससे अधिक वर्ष का अनुभव होने पर ही प्रदाय किया जावेगा।
7. **ग्रामीण क्षेत्र** में आर्थिक सामाजिक एवं जाति जनगणना 2011 के अंतर्गत (i) स्वतः शामिल तथा (ii) वंचन सूचकांक के अंतर्गत आने पर ही निर्धारित अंक प्रदाय किया जावेगा । इस संबंध में केवल सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा । प्रमाण पत्र में सूचकांक का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है । **गरिबी रेखा प्रमाण पत्र के साथ परिवार का ड्रॉफ्ट सूची भी संलग्न करें।**

8. **शहरी क्षेत्र की** आवेदिका के गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार की सदस्य होने पर परिवार के मुखिया के नाम से जारी प्रभावशील गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र एवं राशन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करे जो वर्तमान में प्रभावशील है जिसमें गरिबी रेखा का सर्वे क्रमांक तथा आवेदिका का नाम अंकित होना अनिवार्य होगा ।
9. आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए :–
   आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु – मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण
   आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु – 8 वीं उत्तीर्ण
   टीपः– उपरोक्त पदों हेतु उल्लेखित शैक्षणिक योग्यताधारी कोई आवेदिका न मिलने पर शासन के नियमानुसार शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता दी जावेगी ।
11. सहायिका पद हेतु प्रस्तुत आठवीं की अंक तालिका के ग्रेड पध्दति में जारी होने पर संबंधित विद्यालय के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर से जारी प्राप्तांक विवरण सूची पृथक से संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में ग्रेड के न्युनतम प्रतिशत के आधार पर मूल्यांकन किया जावेगा ।
12. अनुसूचित जाति/ जनजाति विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में 8वीं तक अध्ययन करने वाली आवेदिका को पृथक से अंक की पात्रता होगी ।
13. अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका/सह सहायिका होने पर, प्रभावशील गरीबी रेखा सूची में शामिल परिवार के सदस्य होने पर, अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार की महिला होने पर तथा विधवा, परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर नियुक्ति निर्देश के अनुसार अतिरिक्त अंक दिये जावेंगे ।
14. **आवेदन पत्र जमा करते समय पात्रतानुसार समस्त अभिलेख/प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा । आवेदन जमा होने के अंतिम तिथि पश्चात् किसी भी प्रकार का अभिलेख/प्रमाण पत्र स्वीकार नही किया जावेगा ।**
15. जमा किए गए आवेदन एवं संलग्नकों के पूर्ण विवरण सहित पावती प्राप्त करना आवेदिका का उत्तरदायित्व होगा । सभी दस्तावेज अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित कर लगाये जावेंगे ।
16. नियुक्ति की सम्पूर्ण प्रक्रिया छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक/728/1098/2008/मबावि./50 रायपुर दिनांक 02.04.2008 एवं समय–समय पर इस निर्देश में हुए संशोधन के तहत की जावेगी ।
17. आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने की नियत तिथि **17.11.2026 से 01.12.2026** तक कार्यालयीन दिवस में रात्रि **12:00** बजे तक आनलाईन आवेदन स्वीकार किया जावेगा ।
18. **दावा आपत्ति के समय कोई नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जावेगा।**
19. इस संबंध में आवेदन महिला एवं बाल विकास विभाग के ऑन लॉईन पोर्टल पर **aww.ebharti.in** के माध्यम से ऑनलाईन किया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार अर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदिका रिक्त पद हेतु आवेदन कर सकते हैं । आंगनबाड़ी सहायिकाओ का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है । इन्हें केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय एवं अतिरिक्त मानदेय की पात्रता होगी ।

(श्रीमती हीराप्रेया पटेल)
परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
पुसौर, जिला–रायगढ़(छ.ग.)

पृ.क./1308 /स्था/बा.वि.परि./2026–27 रायगढ़,दिनांक 17/11/2026

प्रतिलिपिः–

1. जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास रायगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पुसौर की ओर सूचना पत्र की अतिरिक्त प्रति संलग्न कर लेख है, कि उक्त सूचना पत्र को आपके कार्यालय के सूचना पटल में चस्पा कराने का कष्ट करेंगे ।
3. संबंधित पर्यवेक्षक, सेक्टर.....एकीकृत बाल विकास परियोजना पुसौर जिला–रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

परियोजना आधकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
पुसौर, जिला–रायगढ़(छ.ग.)